

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंविधि जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। समस्त अन्य विषय पर यह पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ था तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवधारणा लिखा जावे जिससे सुनिधा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बख्ता/2013/ 283

दिनांक: १०/०५/१३

9009006968

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्रीयम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साइंस वर्सई दिया ( ) को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, बी.ए. तृतीय वर्ष - (आ.पा. हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास), बी.ए. द्वितीय वर्ष, अति.विषय - (राजनीतिशास्त्र) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- प्रो. के.एस. सेंगर, प्राचार्य, शा. पी.जी. कॉलेज, श्योपुर (संयोजक) (9827368695)
  - डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
  - प्रो. आर.पी. पाण्डेय, आचार्य, पुरातत्त्व अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
  - प्रो. के.एस. गुर्जर, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाल्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावधान/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुशंसारे अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितंबर 2012 के पद क्रान्ति 60 (अ-अ-2) पर लिये गये जिरीकानुसार निरीकण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीकण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीकण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यालयी (महाविद्यालय निरीकण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यालयी पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठनमाला का विवरण ने दूसरी तरफ इसका उल्लेख किया है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

३ मार्च १९८३

३८६

- प्रातिलिपि :-**

  - समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
  - आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
  - कलपत्रि के सचिव / कूलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कृतसंचिव (सम्बन्धिता)